रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 1975/ज्येष्ठ 5, 1897

No. 178] NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 1975/JYAISTHA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May 1975

S.O. 229(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. **Short title and application.**—(1) These rules may be called the Conduct of Elections (Second Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall apply in relation to all elections whether called before or after the date of publication of these rules in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 45.**—In rule 45 of the Conduct of Elections Rules, 1961, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The presiding officer shall furnish to every polling agent present at the close of the poll a true copy of the entries made in the ballot paper account after obtaining a receipt from the said polling agent therefor and shall also attest it as a true copy.".

[No. F.7(14)/75-Leg.II]

K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1975

का० आ० 229(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होना.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (द्वितीय संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये नियम सभी निर्वाचनों के सम्बन्ध में, चाहे वे राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पहले या उसके पश्चात् अपेक्षित किए गए हों, लागू होंगे।

2. **नियम 45 का संशोधन.**—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 45 में, उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) पीठासीन आफिसर मतदान की समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को, मतपत्र लेखा में की गई प्रविष्टियों की एक शुद्ध प्रति, उक्त मतदान अभिकर्ता से उसकी रसीद अभिप्राप्त करने के पश्चात् देगा और यह अनुप्रमाणित भी करेगा कि वह शुद्ध प्रति है।"।

[सं० फा० 7(14)/75-विधायी-II]

के० के० सुन्दरम, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975